न्यायालय :–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V-सह–विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

<u>उत्पाद वाद संख्या 479 /2022</u>
C.I.S No. 479/2022
{ गम्हरिया थाना कांड संख्या–92/2022 से उद्भूत}

राज्य द्वारा सूचक डोमी मंडल, पु0स0अ0नि0, गम्हरिया थाना, जिला मधेपुरा।
.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. मनोज कुमार मेहता पे0 रामबचन मेहता उम्र करीब 35 वर्ष
साकिन :–तरावे, वार्ड नं.–6, थाना–गम्हरिया, जिला मधेपुरा।
..... अभियुक्त।

घटना की तिथि –22.05.2022

प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि –22.05.2022

आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि –24.09.2022

आरोप गठन की तिथि – 23.04.2024

आरोप अन्तर्गत धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 संशोधित 2018

फैसला सुरक्षित रखने की तिथि –11.08.2025

निर्णय पारित करने की तिथि – 11.08.2025

क्या दोषसिद्ध या दोषमुक्त :– दोषमुक्त

निर्णय की तिथि – मधेपुरा, 11 अगस्त 2025

उपस्थित –आशुतोष कुमार–II,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्-
सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्रीमति सरोजनी कुमारी, विद्वान विशेष लोक अभियोजिका,

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री राजेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची।

क्रम सं0	नाम	गवाह की प्रकृति, चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी,
PW 1	बालेश्वर मंडल	साक्षी

<u>निर्णय</u>

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्व बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम–2016, संशोधित अधिनियम, 2018 की धारा–30(a) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2024 को आरोप गठन कर अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं

न्यायालय :–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V-सह–विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

उत्पाद वाद संख्या 479 /2022
C.I.S No. 479/2022
{ गम्हरिया थाना कांड संख्या–92/2022 से उद्भूत}

समझाया गया। अभियुक्त सुनकर एवं समझकर अपने को निर्दोष बताते हुए वाद विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि सूचक डोमी मंडल घटना के समय गम्हरिया थाना में पुलिस सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित थे। सूचक सशस्त्र बल के साथ दिनांक 22/05/2022 समय करीब 10:20 बजे दिवा गश्ती के लिए थाना से प्रस्थान किये थे। समय करीब 14:30 बजे गम्हरिया बाजार के पास पहुँचे तो सूचक को दूरभाष से सूचना मिली कि तरावे चौक पर बेल्डिंग दुकान पर देशी शराब छुपाकर रखे हुए हैं। सूचक सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कारवाई हेतु समय करीब 14:50 बजे तरावे चौक बेल्डिंग दुकान के पास पहुँचे तो देखे कि पुलिस बल को देखकर एक व्यक्ति दुकान से निकलकर भागने लगे। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मनोज मेहता बताया। पुलिस कारवाई को देखकर अगल–बगल के लोग जमा हो गए। सूचक के द्वारा जमा लोगों में से दो साक्षी प्रमोद कुमार एवं अर्जुन कुमार को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए मनोज मेहता के बेल्डिंग दुकान का तलाशी लिया गया तो दुकान के पीछे टीन चादर से बना टाट से पीला रंग के गैलन से कुल–05 लीटर एवं उजला रंग के गैलन से कुल–05 लीटर, कुल–10 देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। तत्पश्चात् सूचक के द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष जब्त शराब का जब्ती सूची बनाया गया।

3. सूचक डोमी मंडल के टंकित आवेदन के आधार पर उपरोक्त नामित अभियुक्त मनोज मेहता के विरूद्ध गम्हरिया थाना कांड सं0–92/2022 दिनांकित 22/05/2022 धारा–**30(a)** बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम–2018 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0 153/2022 दिनांकित 21/08/2022 उपरोक्त नामित अभियुक्त मनोज मेहता के विरूद्ध धारा–**30(a)** बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2018 के अन्तर्गत समर्पित किया गया। तदोपरान्त, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश, मधेपुरा के द्वारा उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा–**30(a)** बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2018 के अन्तर्गत दिनांक 24/09/2022 को संज्ञान लिया गया। संज्ञानोपरांत वाद विचारण की कारवाई प्रारम्भ की गयी।

4. इस न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता **(**संक्षेप में **'**द0 प्र0 सं0**')** की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया।

5 विचारण का बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए

न्यायालय :–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V-सह–विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

उत्पाद वाद संख्या 479 /2022
C.I.S No. 479/2022
{ गम्हरिया थाना कांड संख्या–92/2022 से उद्भूत}

गए आरोपों को युक्ति–युक्त तथा तर्कपूर्ण संदेहों के परे अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

विनिश्चय

6. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में अभियोजन साक्षी संख्या–1 बालेश्वर मंडल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन साक्षी संख्या–1 बालेश्वर मंडल हैं। इन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे दिनांक 22/05/2022 को गम्हरिया थाना में गृहरक्षक के पद पर पदस्थापित थे। उक्त तिथि को पु0स0अ0नि0 डोमी मंडल एवं अन्य गृहरक्षक के साथ गश्ती करते हुए गम्हरिया बाजार पहुँचे तो वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली। उक्त सूचना पर तरावे चौक, मनोज मेहता के हार्ड वेयर दुकान पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति दुकान से भागने लगे। जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मनोज मेहता बताया। साक्षी का मुख्य परीक्षण में अग्रतर कथन है कि पुलिस कारवाई को देखकर अगल–बगल के लोग जमा हो गए। जमा लोगों में से पु0स0अ0नि0 महोदय के द्वारा दो लोगों को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुए पकड़ाये व्यक्ति के शरीर का तलाशी लिया गया तो उसके शरीर से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। तब उसके दुकान का तलाशी लिया गया तो दुकान के पीछे टाट के अंदर छिपाकर रखे पाँच–पाँच लीटर के दो गैलन से कुल दस लीटर देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। उसके बाद जब्त शराब का जब्ती सूची पु0स0अ0नि0 के द्वारा बनाया गया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि दुकान के अन्दर से कुछ नहीं मिला था। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने लगा जिसे इनलोगों के द्वारा पकड़ लिया गया।

8. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आरोप पत्र में नामित कुल छः साक्षियों में से अभियोजन के द्वारा मात्र एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1, छापामारी दल के साक्षी के मुख्य परीक्षण के अवलोकन से विदित होता है कि सूचक साक्षी ने अपने परीक्षण में अभियोजन वाद का समर्थन किया है। लेकिन अभियोजन के द्वारा इस कांड के सूचक एवं अनुसंधानकर्ता की गवाही नहीं करायी गयी है। जब्ती सूची के किसी भी स्वतंत्र साक्षियों की गवाही नहीं करायी गयी है। इस कांड में जब्त वस्तु प्रदर्श को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जब्त शराब के विनष्टिकरण का प्रतिवेदन भी न्यायालय में प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है। अभियोजन के द्वारा न तो जब्ती सूची और न टंकित आवेदन को ही साबित किया गया है। अभियोजन के द्वारा जब्त शराब का जाँच प्रतिवेदन भी प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, साक्ष्य विहीन सा है। अभियोजन

न्यायालय :–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V-सह–विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय प्रथम, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

<u>उत्पाद वाद संख्या 479 /2022</u>
C.I.S No. 479/2022
{ गम्हरिया थाना कांड संख्या–92/2022 से उद्भूत}

अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त धारा के अन्तर्गत साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

10. अतः, उपरोक्त तथ्यों के विवेचना के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन अभियुक्त मनोज मेहता के विरूद्ध लगाये गये उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत आरोप को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अतः, न्यायालय अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत निर्दोष पाती है एवं अभियुक्त को उपरोक्त धारा में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त एवं उनके जमानतदार को बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित

ह0/–

(आशुतोष कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पंचम्–सह–विशेष न्यायाधीश
उत्पाद–प्रथम, मधेपुरा।
दिनांक 11/08/2025

लेखापित

ह0/–

(आशुतोष कुमार–II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पंचम्–सह–विशेष न्यायाधीश
उत्पाद–प्रथम, मधेपुरा
दिनांक 11/08/2025